

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।

2- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक,

समस्त जिला (पु0/म0) /बैस/संयुक्त/मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकूर्ड/क्षयरोगाश्रम गेठिया /भवाली।

4- प्राचार्य,

राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून/बैस चिकित्सालय श्रीनगर।

पत्रांक- ३प/पैरा/उप०/१९/२०१८/ १५६७५-

देहरादून दिनांक २७ जुलाई, २०१८

विषय-

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत उपचारिका संवर्ग के कार्मिकों को प्रदेश के स्टेट नर्सिंग कालेज में पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम का विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत करना है कि उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या- 1080 / xxviii-3-2010-21/2010 दिनांक 16 दिसम्बर 2010 संपतित कार्यालय ज्ञाप/प्रकीर्ण/शुद्धिपत्र संख्या: ६६०/xxviii-3-2016-51-/2009 दिनांक 16 मई 2016 द्वारा विभाग में कार्यरत उपचारिका संवर्ग के कार्मिकों को प्रदेश के स्टेट नर्सिंग कालेज में पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम का विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गयी है।

वर्तमान समय में नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से उपचारिका संवर्ग के विभागीय कार्मिकों के विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा- बी०एस०सी० नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग, एम०एस०सी०नर्सिंग, इन्नू से पो०बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग तथा इन्नू से पी०जी०डी०एच०एच०एम० हेतु आवेदन पत्र महानिदेशालय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं किन्तु उक्त आवेदन पत्रों में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख कार्मिक द्वारा नहीं किया गया है:-

01- कार्मिक द्वारा किस विश्वविद्यालय / परीक्षा की विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु विभागीय अनापत्ति हेतु अनुरोध किया गया है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और न ही विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

2- आवेदन पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्मिक द्वारा विभागीय कोटे के अन्तर्गत राजकीय नर्सिंग कालेज से पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग छोर्स हेतु आवेदन हेतु अनापत्ति चाही गयी है अथवा स्वयं के व्यय पर राजकीय / निजी कालेज से बी०एस०सी० नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा एम०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम आदि किये जाने हेतु अनापत्ति चाही गयी है । निजी कालेज से पाठ्यक्रम किये जाने की दशा में संस्थान को उक्त तत्र हेतु इण्डियन नर्सिंग कांउसिल की मान्यता के सम्बन्ध में कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है तथा कार्मिक द्वारा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अवधि तथा चयन होने की दशा में कार्मिक द्वारा उक्त पाठ्यक्रम अवधि में कौन से अवकाश हेतु आवेदन किया जायेगा का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

3- एम०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करने वाले कार्मिक द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है उनके द्वारा पूर्व में बी०एस०सी० नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग विभागीय सेवा में योगदान से पूर्व किये गये अथवा विभागीय अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त किये गये । कार्मिक द्वारा उक्त पाठ्यक्रम निजी संस्थान से किये जाने की दशा में उक्त सत्र हेतु निजी संस्थान को आई०एन०सी० द्वारा प्रदत्त मान्यता के सम्बन्ध में भी कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है । यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि विभाग में योगदान देने के उपरान्त बी०एस०सी० नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग कोर्स किस सत्र में की गयी। इस हेतु कार्मिक द्वारा प्राप्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं कार्मिक को उक्त पाठ्यक्रम अवधि में किस प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया गया था।

04- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभागीय कोटे के पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किये जाने की दशा में शासनादेश संख्या- 1080 / xxviii-3- 2010-21 /2010 दिनांक 16 दिसम्बर 2010 के प्रस्तर/बिन्दु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है , शासनादेश के बिन्दु - 04 के अनुसार उक्त प्रशिक्षण हेतु चयनित उपचारिकाओं को प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त विभाग में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा करनी अनिवार्य होगी, जिसके लिये उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस आशय का अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

05- कठिपय नियंत्रक अधिकारी द्वारा आवेदकों की विगत 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय आख्या की मूल/सत्यापित छायाप्रति एवं नियंत्रक अधिकारी का मनतव्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, अनेक नियंत्रक अधिकारियों ने मात्र मूल आवेदन पत्र को हस्ताक्षर/मुहर लगाते हुये महानिदेशक को अग्रसारित किया गया है एवं अपनी कोई भी आख्या/संस्तुति/सहमति व्यक्त नहीं की गयी है।

06- अतः वर्तमान सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम हेतु प्राप्त 18 आवेदन पत्रों को उपरोक्त कारणों तथा संलग्न सूची में कार्मिकों के नाम के सम्मुख उल्लिखित कारणों के फलस्वरूप अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में अर्ह नहीं पाया गया, कार्मिक को पुनः नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जाना होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके नियंत्रणाधीन कार्मिकों को उक्त निर्णय से अवगत जरूर का कष्ट लें इनके इन्हें इनके इनके यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने नियंत्रणाधीन उपचारिका संवर्ग के समस्त कार्मिकों को शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर 2010 तक शुद्धिपत्र दिनांक 16 मई 2016 से अवगत कराते हुये चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में शासनादेश संख्या-1080/xxviii-3-2010-21/2010 दिनांक 16 दिसम्बर 2010 सप्तित कार्यालय ज्ञाप/प्रकीर्ण/शुद्धिपत्र संख्या: 660/xxviii-3-2016-51-/2009 दिनांक 16 मई 2016 के अन्तर्गत उनके द्वारा अन्यत्र सम्बद्धता हेतु जड़दन भी नहीं किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या- 1080/xxviii-3- 2010-21 /2010 दिनांक 16 दिसम्बर 2010 दिनांक 16 दिसम्बर 2010 तक ज्ञायलय ज्ञाप/प्रकीर्ण/शुद्धिपत्र संख्या- 660/xxviii-3-2016-51-/2009 दिनांक 16 मई 2016 दिनांक 16 मई 2016 के प्रतिबन्ध उन्हें स्वीकार हैं उनके द्वारा अन्यत्र सम्बद्धता हेतु जड़दन भी पत्र को अपनी स्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित कार्मिक की विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या की मूल/प्रमाणित छायाप्रति सहित डाक/विशेष पत्रहस्त के माध्यम से दिनांक 15.07.2018 तक महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदक कार्मिक द्वारा यह अवश्य ध्यान में रखा जाय कि शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर 2010 सप्तित कार्यालय ज्ञाप/प्रकीर्ण/शुद्धिपत्र दिनांक 16 मई 2016 के अन्तर्गत विभागीय कोटे से पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग का विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक विभागीय कार्मिक स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करें कि उनके द्वारा विभागीय सीटों (शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर 2010 एवं 16 मई 2016 के अन्तर्गत) के सापेक्ष उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों के क्रम में आवेदन किया जा रहा है। शेष आवेदक जो विभागीय सीटों के अतिरिक्त (शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर 2010 एवं 16 मई 2016 के अतिरिक्त) किसी राजकीय/ निजी कालेज/ संस्थान से पोस्ट बेसिक नर्सिंग एवं अन्य किसी पाठ्यक्रम हेतु विभागीय अनापत्ति के इच्छुक हैं वे अध्ययन सत्र हेतु इण्डियन नर्सिंग कांउसिल से उक्त संस्थान की मान्यता के सम्बन्ध में प्रमाण संलग्न करेंगे तथा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अवधि का विवरण तथा चयन होने की दशा में कार्मिक द्वारा उक्त पाठ्यक्रम अवधि में अवकाश नियम के अन्तर्गत कौन से अवकाश हेतु आवेदन किया जायेगा का भी उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ कार्मिक की विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या की मूल/प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न कर महानिदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। नियंत्रक अधिकारी के अतिरिक्त कार्मिक द्वारा सीधे अथवा अन्य किसी माध्यम से महानिदेशालय को प्रेषित किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

मवदीय,

(टी0सी0 पन्त)
महानिदेशक

पृष्ठों-3प/पैरा/उपा/19/2018/

तददिनांकित।

प्रतिलिपि आई0ई0सी0 अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त पत्र को मय संलग्नक विभागीय वैवर्ताई www.health.uk.gov.in पर अपलोड करवाते हुये निम्न आशय की सूचना भी राज्य के दो सर्वाधिक परिचालन वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम पठनीय साईज में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

-: उपचारिका संवर्ग के कार्मिकों को पोस्ट बेसिक नर्सिंग पाठ्यक्रम का विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना:-

“ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत उपचारिका संवर्ग के कार्मिकों को प्रदेश के स्टेट नर्सिंग कालेज में पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम का विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु इच्छुक आवेदक अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से शासनादेश संख्या-1080/xxviii-3-2010-21/2010 दिनांक 16 दिसम्बर 2010 सप्तित कार्यालय ज्ञाप/प्रकीर्ण/शुद्धिपत्र संख्या: 660/xxviii-3-2016-51-/2009 दिनांक 16 मई 2016 के अन्तर्गत इस आशय का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करते हुये कि ‘प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त उनके द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा उक्त अवधि में उनके द्वारा अन्यत्र किसी भी विभाग में सम्बद्धता हेतु आवेदन भी नहीं किया जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर 2010 एवं कार्यालय ज्ञाप/प्रकीर्ण/शुद्धिपत्र दिनांक 16 मई 2016 के प्रतिबन्ध उन्हें स्वीकार हैं” दिनांक 15.07.2018 सायं 05:00 बजे तक महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, पूर्व में किये गये आवेदनों पर निर्णय/वर्तमान आवेदन हेतु दिशानिर्देश विभागीय वेबसाइट www.health.uk.gov.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। ”

(टी0सी0 पन्त)
महानिदेशक

प्रादीनदेशालय के एवं दूसरे - २४/५/२०१८ | ३७०|१९ | २०१८|१५६७५ दिनांक ०७ जुलाई २०१८

परिषिगत कार्यालय से प्राप्त उपचारिका संबंध के विभागीय कार्यिकों ने विभिन्न कोर्सों यथा- बी०एस०सी० नर्सिंग, पो०ब०बी०एस०सी० नर्सिंग,
इम०एस०सी०नर्सिंग, इग० से पो०ब०सिक बी०एस०सी० नर्सिंग हेतु विभागीय अनापति के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का विवरण / सूची

| क्रं सं | कार्यिक का नाम | पदनाम | जन्मतिथि | विभाग में योगदान की तिथि | वर्तमान तैनाती स्थान | आवेदन पत्र अप्राप्तिकर्ता एवं उनकी स्थिति की विवरण | कार्यिक द्वारा किया गया अनुरोध | कारण जिसके कारण वर्तमान में अनापति प्रदान नहीं की जा रही है। |
|---------|--------------------|----------|------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 1. | श्रीमती सुखदीप कोर | उपचारिका | 16.07.1982 | 25.10.2011 | साम० स्वार्को किरणा, ऊर्ध्वनाहिनीगार | मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉसिंगर | वर्ष 2013-19 की बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। | कार्यिक द्वारा निम्न विचुद्धों पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है:- 1 किस विश्वविद्यालय / परीक्षा की विज्ञप्ति के साथक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। 2- अवेदन पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्यिक द्वारा विभागीय कोर्ट के अन्तर्गत राजकीय नर्सिंग कालेज से बी०एस०सी० नर्सिंग कार्स हेतु आवेदन हेतु अनापति चाहीं गयी है अथवा राजकीय / निजी संस्थान से स्पष्ट के बाय पर बी०एस०सी० नर्सिंग कोर्स किये जाने हेतु अनापति चाहीं गयी है। 3- कार्यिक द्वारा विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न नहीं की गयी है। 4- विषय ०५ वर्ष की वार्षिक गोपनीय आव्याह की प्रमाणित छायाप्रति उल्लेख नहीं करायी गयी है। |
| 2. | सुश्री दीपिंदि रवत | उपचारिका | 01.07.1987 | 29.11.2012 | बैस चिकित्सालय कोटद्वारा यौवी गढ़वाल | मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉस विजिक्सालय कोटद्वारा | माह अगस्त 2018 के अन्तिम सप्ताह में बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु आहुत परीक्षा में सम्मानित होने हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध। | कार्यिक द्वारा निम्न विचुद्धों पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है:- 1 किस विश्वविद्यालय / परीक्षा की विज्ञप्ति के साथक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। 2- अवेदन पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्यिक द्वारा विभागीय कोर्ट के अन्तर्गत राजकीय नर्सिंग कालेज से बी०एस०सी० नर्सिंग कार्स हेतु आवेदन हेतु अनापति चाहीं गयी है अथवा राजकीय / निजी संस्थान से स्पष्ट के बाय पर बी०एस०सी० नर्सिंग कोर्स किये जाने हेतु अनापति चाहीं गयी है। 3- कार्यिक द्वारा विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न नहीं की गयी है। |
| 3. | सुश्री राधिका शाम | उपचारिका | - | 09.11.2012 | महिला चिकित्सालय | मुख्य चिकित्सा अधिकारिका, महिला | चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तरराज्याभृत सरकार द्वारा | 01- शासनदेश संख्या- 1080 / XXVIII-3-2010-21 / 2010 दिनांक 16 विसम्बर 2010 के प्रस्तर / बिन्दु-०४ में प्रदत्त |

| | | | | | |
|----|---------------------|----------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| 4. | सुश्री कविता अरोड़ा | उपचारिका | 26.10.1978 | 04.02.2008 | हल्दारी चिकित्सालय हल्दारी। |
| 5. | सुश्री ललिता नगी | उपचारिका | 08.11.2012 | | जिला चिकित्सालय बोराई |
| 6. | सुश्री सोनाली नेगी | उपचारिका | 07.11.2012 | | जिला चिकित्सालय पौड़ी |
| | | | | | |

व्यवस्थाओं अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
02- विंग अवधि 05 वर्ष की वार्तिक गोपनीय आख्या की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

कार्यिक द्वारा निम्न विद्युओं पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है:-

1- किस विज्ञिपि के सापेक्ष बीएस०सी० पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन किया गया है।
2- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापति याही गयी है अथवा स्वयं के ब्य पर ।
3- किस विश्वविद्यालय / परीक्षा की विज्ञिपि के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

4- 01- शासनादेश संख्या- 1080 / XXVIII-3 -2010-
21 / 2010 दिनांक 16 दिसम्बर 2010 के प्रस्तर / विद्यु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कार्यिक द्वारा निम्न विद्युओं पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है:-

1- किस विज्ञिपि के सापेक्ष बीएस०सी० पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन किया गया है।
2- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापति याही गयी है अथवा स्वयं के ब्य पर ।
3- किस विश्वविद्यालय / परीक्षा की विज्ञिपि के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

4- 01- शासनादेश संख्या- 1080 / XXVIII-3 -2010-
21 / 2010 दिनांक 16 दिसम्बर 2010 के प्रस्तर / विद्यु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5- विंग अवधि 05 वर्ष की वार्तिक गोपनीय आख्या की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

कार्यिक द्वारा निम्न विद्युओं पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है:-

1- किस विज्ञिपि के सापेक्ष बीएस०सी० पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन किया गया है।
2- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापति याही गयी है अथवा स्वयं के ब्य पर ।
3- किस विश्वविद्यालय / परीक्षा की विज्ञिपि के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं

| | | | | |
|----|-----------------------|----------|---|---|
| | | | | |
| 7. | सुश्री चन्दा जोशी | उपचारिका | <p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नागरिक विवितसालय रानीखेत द्वारा मूल रूप में अग्रसारित।</p> | <p>पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग कोर्स करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध।</p> |
| 8. | सुश्री रश्मि त्रिपाठी | उपचारिका | <p>नागरिक विवितसालय रानीखेत (अलोडा)।</p> | <p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नागरिक विवितसालय रानीखेत द्वारा मूल रूप में अग्रसारित।</p> |
| 9. | सुश्री काफिया खातून | उपचारिका | | <p>दून मॉडेलकल कालेज दहरादून</p> |

किया गया है।

4- 01- शासनादेश संख्या- 1080 / XXVIII-3 -2010-
21/2010 दिनांक 16 दिसंबर 2010 के प्रस्तर / विन्दु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शाय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5- विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आँखा की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

कार्मिक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर के सम्बन्ध में काई उल्लेख नहीं किया गया है।-

1- किस विज्ञिपि के सापेक्ष बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन किया गया है।

2- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापति चाहीं गयी है अथवा स्वयं के व्यय पर।

3- किस विश्वविद्यालय / परिषा की विज्ञासि के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

4- 01- शासनादेश संख्या- 1080 / XXVIII-3 -2010-
21/2010 दिनांक 16 दिसंबर 2010 के प्रस्तर / विन्दु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शाय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5- विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आँखा की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

4- 01- शासनादेश संख्या- 1080 / XXVIII-3 -2010-
21/2010 दिनांक 16 दिसंबर 2010 के प्रस्तर / विन्दु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शाय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5- विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आँखा की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

कार्मिक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर के सम्बन्ध में काई उल्लेख नहीं किया गया है।-

1- किस विज्ञिपि के सापेक्ष बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन किया गया है।

2- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापति चाहीं गयी है अथवा स्वयं के व्यय पर।

3- किस विश्वविद्यालय / परिषा की विज्ञासि के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

4- 01- शासनादेश संख्या- 1080 / XXVIII-3 -2010-
21/2010 दिनांक 16 दिसंबर 2010 के प्रस्तर / विन्दु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शाय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5- विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आँखा की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

कार्मिक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर के सम्बन्ध में काई उल्लेख नहीं किया गया है।-

1- किस विज्ञिपि के सापेक्ष बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन किया गया है।

2- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापति चाहीं गयी है अथवा स्वयं के व्यय पर।

| | | | | |
|-----|----------------------|----------|---|--|
| | | | | |
| 10. | सुश्री याचिनी उनियाल | उपचारिका | <p>दून मेडिकल कालेज देहरादून मुख्य चिकित्सा अधिकारीका, दून-महिला चिकित्सालय देहरादून द्वारा मूल में अग्रसारित।</p> <p>पोस्ट बैशिक बी0एस0सी0 नर्सिंग कोर्स करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने तथा राजकीय सेवा के अन्तर्गत शिक्षा प्रणाले करने हेतु अनापति का, अनुरोध।</p> | <p>कार्मिक द्वारा निम्न विन्तुओं पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>3- किस विश्वविद्यालय / परेका की विज्ञापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>4- 01- शासनादेश संख्या- 1080 / XXVII-3 -2010- 21 / 2010 दिनांक 16 दिसंबर 2010 के प्रस्तर / विद्यु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शाफ्ट पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>5- विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।</p> |
| 11. | सुश्री मनू कुमारी | उपचारिका | <p>दून मेडिकल कालेज देहरादून मुख्य चिकित्सा अधिकारीका, दून-महिला चिकित्सालय देहरादून द्वारा मूल में अग्रसारित।</p> <p>पोस्ट बैशिक बी0एस0सी0 नर्सिंग कोर्स करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने तथा राजकीय सेवा के अन्तर्गत शिक्षा प्रणाले करने हेतु अनापति का, अनुरोध।</p> | <p>कार्मिक द्वारा निम्न विन्तुओं पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>1- किस विज्ञापि के सापेक्ष बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु अवेदन किया गया है।</p> <p>2- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापति चाहीं गयी है अथवा स्वयं के लिये पर ।</p> <p>3- किस विश्वविद्यालय / परेका की विज्ञापति के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>4- 01- शासनादेश संख्या- 1080 / XXVIII-3 -2010- 21 / 2010 दिनांक 16 दिसंबर 2010 के प्रस्तर / विद्यु-04 में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शाफ्ट पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>5- विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।</p> |
| 12. | श्रीमती अंशुल भट्ट | उपचारिका | <p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बौराडी दिहरी गढवाल द्वारा गढवाल</p> <p>पोस्ट बैशिक बी0एस0सी0 नर्सिंग कोर्स करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध।</p> | <p>कार्मिक द्वारा निम्न विन्तुओं पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>1- किस विज्ञापि के सापेक्ष पेस्ट बैशिक बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु अवेदन किया गया है।</p> |

| | | | | |
|-----|----------------------|--|---|---|
| | | | मूल रूप में अग्रसरित। | |
| 13. | श्रीमती रजनी शपलियाल | उपचारिका | 01.03.1987 | 19.11.2012 |
| | | पिला विकिसालय बौराडी तिहरी गढ़वाल | मुख्य लिकिता अधीक्षक, जिला विविजसालय बौराडी टिहरी गढ़वाल दरारा मूल रूप में अग्रसरित। | पास्ट बोरिक बी0एस0सी0 नर्सिंग कोर्स करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध। |
| 14. | सुश्री अनुराधा पाल | उपचारिका | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|------------|------------|---|---|--|--|
| 15. | सुशी ज्योति पाण्डे | उपचारिका | 12.02.1986 | 31.10.2012 | सामुद्रस्थानको रामगढ नेपालीताल | मुख्य चिकित्सा अधिकारी नेपालीताल | एम०एस०सी० नर्सिंग प्रेक्षण परीक्षा २०१८ (उत्तराखण्ड) में प्रतिभाग करना एस्प बयन होने पर प्रशिक्षण में जाने हेतु विमानीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। | <p>५- दिनांक ०५ जून की वार्षिक नाइटनीय आव्याह की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।</p> <p>कार्मिक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है:-</p> <p>१ किस विज्ञप्ति के सापेक्ष एम०एस०सी० पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन किया गया है।</p> <p>२- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापत्ति चाही गयी है अथवा स्वयं के द्वारा पर ३- किस विश्वविद्यालय / परीक्षा की विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापत्ति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>४- ०१- शासनादेश संख्या- १०८० / XXVIII-३ -२०१०- २१ / २०१० दिनांक १६ दिसम्बर २०१० के प्रस्तर / बिन्दु-०४ में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> |
| 16. | श्रीमती सारिता | उपचारिका | 25.04.1983 | 30.07.2012 | जिला चिकित्सालय बौराङी दिहरी गढवाल | मुख्य चिकित्सा अधीकारक, जिला चिकित्सालय बौराङी दिहरी गढवाल द्वारा मूल रूप में अप्रसारित। | एम०एस०सी० नर्सिंग की परीक्षा में सम्भिलित होने के लिये अनापत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। | <p>कार्मिक को जिला चिकित्सालय बौराङी में कार्यरत दर्शाया गया है किन्तु वर्ष २०१७-१८ की वार्षिक गोपनीय आव्याह में प्रतिवेदक अधिकारी प्रधानाचार्य, रा कालेज आफ नर्सिंग नहीं दिहरी है।</p> <p>कार्मिक के आवेदन पत्र को महानिदेशालय को मुख्य विकास अधिकारक के रूप में अग्रसरित करने वाले अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारक के रूप में वार्षिक गोपनीय आव्याह को समीकृत करने वाले तथा अन्य अध्यक्षियों के आवेदन पत्र को महानिदेशालय को अग्रसरित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर में लिन्ना है।</p> <p>कार्मिक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है:-</p> <p>१- किस विज्ञप्ति के सापेक्ष एम०एस०सी० पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आवेदन किया गया है।</p> <p>२- यह स्पष्ट नहीं है कि राजकीय कोटे के अन्तर्गत आवेदन हेतु अनापत्ति चाही गयी है अथवा स्वयं के द्वारा पर ३- किस विश्वविद्यालय / परीक्षा की विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन किये जाने हेतु अनापत्ति अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>४- ०१- शासनादेश संख्या- १०८० / XXVIII-३ -२०१०- २१ / २०१० दिनांक १६ दिसम्बर २०१० के प्रस्तर / बिन्दु-०४ में प्रदत्त व्यवस्थाओं अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> |

| | | | |
|-----|-----------------|-----------|--|
| 17. | सुनी अशा घोष | उचाचारिका | <p>इनू के माध्यम से पोस्ट बेसिक शी0एस0सी0 नर्सिंग</p> <p>उत्तराखण्ड नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण हेतु अर्थवा</p> <p>नहीं इस सर्वान्वय में कोई प्रमाण सलग नहीं है।</p> <p>2- कार्मिक दूरा विज्ञप्ति की छायाप्रति सलग नहीं की गयी है।</p> <p>3- विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रमाणित</p> <p>छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।</p> |
| 18. | सुनी अरती जुयाल | उचाचारिका | <p>इनू के माध्यम से पोस्ट बेसिक शी0एस0सी0 नर्सिंग</p> <p>उत्तराखण्ड नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण हेतु अर्थवा</p> <p>नहीं इस सर्वान्वय में कोई प्रमाण सलग नहीं है।</p> <p>2- कार्मिक दूरा विज्ञप्ति की छायाप्रति सलग नहीं की गयी है।</p> <p>3- विगत 05 वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रमाणित</p> <p>छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।</p> |

۱-
هـ

नियंत्रक अधिकारी द्वारा कार्बिक के आवेदन पत्र को अप्रसरित करने के साथ सम्बन्धित कार्बिक की सेवापुस्तिका के आधार पर निम्नलिखित प्रारूप में

सच्यना उपलब्ध करायी जायेगी।

नियंत्रक अधिकारी का नाम:-
पदनाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक सहित

1

25

प्रेषक,

डा० उमाकान्त प्रवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-३


देहरादून: दिनांक १६ दिसम्बर, २०१०

विषय: सेवारत उपचारिकाओं को पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महादय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभाग में कार्यरत उपचारिका संबंध के कार्मिकों को
प्रदेश के स्टेट नर्सिंग कालेज में पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम का विभागीय प्रशिक्षण प्रदान
किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती है:-

- (1) पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित अधिकतम 10 प्रतिशत कार्मिकों
को प्रतिवर्ष प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
- (2) यह अनुमति उनके संबंध में आवेदन करने वाले कार्मिकों को वरिष्ठता क्रम
में प्रदान की जायेगी।
- (3) यह अनुमति उन्ही कार्मिकों को दी जायेगी, जिन्होंने विभाग में न्यूनतम 05
वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (4) उक्त प्रशिक्षण हेतु चयनित उपचारिकाओं को प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त
विभाग में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा करनी अनिवार्य होगी, जिसके लिये
उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस आशय का अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराया
जाना आवश्यक होगा।
- (5) उक्त प्रस्तर-4 के अनुसार अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने वाली उपचारिकाओं को
विभागीय प्रशिक्षण की अवधि को सेवाकाल मानते हुए पूर्ण वेतन व अन्य
सेवा सम्बन्धी लाभ देय होगा तथा इसका आहरण उनके मूल अधिष्ठान से
किया जायेगा।
- (6) जिन उपचारिकाओं द्वारा उक्त प्रस्तर-4 में अंकित अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत नहीं
किया जायेगा, उन्हें नियमानुसार देय अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन करना
होगा।

भवदीय,

(डा० उमाकान्त प्रवार)
सचिव।



पुसंख्या-१०८० /XXVIII-3-2010-51/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एन०आई०सी०/कार्यालय गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी०क०० पन्त)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या: ८८०/XXVIII-3-2016-51/2009
देहरादून: दिनांक: १६ मई, २०१६

कार्यालय ज्ञाप
प्रकीर्ण/शुद्धिपत्र

शासनादेश संख्या- 1080/XXVIII-3-2010-51/2010, दिनांक 16.12.2010 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत सेवारत उपचारिकाओं को पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 में अंकित:- 'उक्त प्रस्तर-4 के अनुसार अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने वाली उपचारिकाओं को विभागीय प्रशिक्षण की अवधि को सेवाकाल मानते हुये पूर्ण वेतन व अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ देय होगा तथा इसका आहरण उनके मूल अधिष्ठान से किया जायेगा।' के स्थान पर 'उक्त प्रस्तर-4 के अनुसार अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने वाली उपचारिकाओं को विभागीय प्रशिक्षण की अवधि को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 84 एवं सहायक नियम 146(क) के अनुसार अर्द्धऔसत वेतन पर सेवाकाल मानते हुये अर्द्धऔसत वेतन का लाभ देय होगा तथा तथा इसका आहरण उनके मूल अधिष्ठान से किया जायेगा।' पढ़ा जाय।

2. उक्त शासनादेश संख्या-1080/XXVIII-3-2010-51/2010, दिनांक 16.12.2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।


(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
अनु सचिव


संख्या: ८८०/XXVIII-3-2016-51/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
- एनोआई०सी०/कार्यालय गार्ड फाईल।


(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
अनु सचिव
